

अधिनियम वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 8.806 हे. वनभूमि का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -2" रायगढ़ के अन्तर्गत रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु।		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़।		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	8.806 हेक्टेयर		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		कांकेर	रायगढ़	बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायत।
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण			
	क. आरक्षित वन	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	क्षेत्रफल हे. में
		घरघोड़ा	सुहाई	1275
		खरसिया	राबो	1182
		खरसिया	राबो	1183
		रायगढ़	राबो	870
		रायगढ़	राबो	872
		रायगढ़	उर्दना	882
		रायगढ़	उर्दना	885
		रायगढ़	उर्दना	886
		रायगढ़	उर्दना	892
		रायगढ़	उर्दना	896
		रायगढ़	बरकछार	898
		रायगढ़	बरकछार	899
		रायगढ़	बरकछार	902
		रायगढ़	बरकछार	919
		रायगढ़	बरकछार	923

		रायगढ़	बरकछार	925	0.013	
		रायगढ़	बरकछार	927	0.148	
		रायगढ़	बरकछार	928	0.208	
		रायगढ़	बोइरदादर टारपाली	966	0.046	
		रायगढ़	गजमार एवं विश्वनाथ पाली	1010	0.031	
		सारंगढ़	बीजामाला	1084	0.058	
		सारंगढ़	बीजामाला	1091	0.030	
		सारंगढ़	बीजामाला	1092	0.060	
		सारंगढ़	बूढ़ा	1107	0.069	
		सारंगढ़	बूढ़ा	1108	0.073	
		सारंगढ़	बूढ़ा	1110	0.144	
		सारंगढ़	नगलीगुड़ा	1112	0.080	
		सारंगढ़	भराली	1122	0.164	
		तमनार	सिलोट	722	0.047	
		तमनार	सिलोट	725	0.050	
		तमनार	तोलगे	758	0.036	
		तमनार	तोलगे	784	0.085	
		तमनार	तराईमाल	829	0.045	
		तमनार	तराईमाल	834	0.109	
		तमनार	तराईमाल	838	0.051	
		तमनार	समारुमा	846	0.060	
		तमनार	समारुमा	847	0.036	
		योग				2.991
		ख. संरक्षित वन	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे. में
			घरघोड़ा	जुआरी टांगर	1260P	0.126
			घरघोड़ा	खरो डोंगरी	1349P	0.090
			घरघोड़ा	तिलाईपाली	1353P	0.030
घरघोड़ा	ताल		1354P	0.053		
घरघोड़ा	जामझोर		1357P	0.061		
रायगढ़	काटाझरिया		806P	0.085		
रायगढ़	बडगांव		809P	0.195		
रायगढ़	शिवपुरी		881P	0.191		
रायगढ़	लाखा		929P	0.045		
रायगढ़	टूगनापानी		931P	0.048		
रायगढ़	भेलवांटिकरा		933P	0.023		
रायगढ़	छिरवानि उत्तर		936P	0.009		
रायगढ़	सम्बलपुरी		949P	0.140		
रायगढ़	सम्बलपुरी		951P	0.238		
रायगढ़	लामीदरहा		964P	0.026		
रायगढ़	रनई पहाड़		971P	0.015		

	रायगढ़	झाराड़िया	972P	0.087
	रायगढ़	मनुवापाली	982P	0.184
	रायगढ़	बेहरापाली	994P	0.159
	सारंगढ़	दमका	1064P	0.099
	सारंगढ़	टेकापाथर	1079P	0.042
	सारंगढ़	इमलीपाली	1080P	0.170
	सारंगढ़	बनडोंगरी	1097P	0.256
	सारंगढ़	सिरालीखोल	1098P	0.087
	सारंगढ़	धौरादहरा	1100P	0.175
	सारंगढ़	धौरादहरा	1101P	0.117
	सारंगढ़	सीताचौक	1103P	0.080
	सारंगढ़	डोंगरीपाली	1115P	0.042
	सारंगढ़	झिंकीपाली	1116P	0.041
	तमनार	करवाही	738P	0.073
	तमनार	ढोलनारा पूर्व	739P	0.026
	तमनार	मुडागाँव	740P	0.051
	तमनार	सरईटोला	741P	0.082
	तमनार	खम्हरिया	743P	0.097
	तमनार	पाता	744P	0.085
	तमनार	केलो	745P	0.089
	तमनार	कोयलार	747P	0.005
	तमनार	जरीडीह	748P	0.004
	तमनार	हिंन्जर	749P	0.115
	तमनार	पंडरीखोल	752P	0.022
	तमनार	देवडोंरी	754P	0.066
	तमनार	बेन्दरा	793P	0.050
	तमनार	धौराभाठा	796P	0.050
	तमनार	देवभुत	807P	0.053
	तमनार	उज्जलपुर पूर्व	810P	0.114
	तमनार	सराईपाली	818P	0.049
	तमनार	डेराटोंगरी	825P	0.068
	तमनार	पाझर	842P	0.019
	तमनार	पूँजीपथरा	844P	0.163
	तमनार	कचकोबा	851P	0.163
	तमनार	औराईमुडा	864P	0.183
	योग			4.541
ग. नारंगी क्षेत्र	रायगढ़	केराझर	876 OA	0.100
	रायगढ़	परसदा	877 OA	0.020
	रायगढ़	कोसमखार	878 OA	0.061
	रायगढ़	छिरवानी (पूर्व)	946 OA	0.104
	रायगढ़	तिलगाडहर (ई)	957 OA	0.221
	रायगढ़	अड़बहाल (अ)	958 OA	0.090

		रायगढ़	मनुबापली	986 OA	0.075
		रायगढ़	बनोरा	1001 OA	0.126
		सारंगढ़	सोनाबहाल (उत्तर)	1118 OA	0.025
		सारंगढ़	सोनाबहाल (दक्षिण)	1119 OA	0.068
		सारंगढ़	सोनाबहाल (दक्षिण)	1120 OA	0.028
		तमनार	समारुमा (उत्तर)	845 OA	0.012
		तमनार	कटुवाटिकरा	860 OA	0.015
		योग			0.945
घ. राजस्व वन क्षेत्र	तहसील का नाम	ग्राम का नाम		खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		बरमकेला	डोंगरीपाली	183/1	0.020
		बरमकेला	झिकीपाली	257	0.010
		बरमकेला	सोनबला	79/1	0.001
		बरमकेला	सोनबला	86	0.002
		बरमकेला	सोनबला	89	0.007
		बरमकेला	सोनबला	97	0.008
		बरमकेला	दमदमा	271	0.005
		बरमकेला	दमदमा	273	0.001
		बरमकेला	दुलापाली	33	0.011
		बरमकेला	मानिकपुर	278/2	0.014
		बरमकेला	रोहेनापाली	8	0.002
		बरमकेला	आमाकोनी बड़े	159/1	0.009
		बरमकेला	डभरा	445	0.002
		बरमकेला	डभरा	475/2	0.013
		बरमकेला	अमलीपाली	81/3	0.002
		बरमकेला	टेकापत्थर	73/1	0.004
		बरमकेला	टेकापत्थर	55/1	0.002
		बरमकेला	तरेकेला	18/1	0.008
		बरमकेला	तरेकेला	22	0.009
		रायगढ़	जामगांव	712/1	0.041
		रायगढ़	जामगांव	200/1	0.017
		रायगढ़	सपनान	163	0.001
		रायगढ़	सपनान	69	0.001
		रायगढ़	सपनान	71	0.001
		रायगढ़	भगोरा	340/1	0.012
		रायगढ़	दनौट	191	0.001
		तमनार	गदगाव	63	0.014
		तमनार	गदगाव	47	0.011
		तमनार	उरबा	277/1	0.016
		तमनार	उरबा	403/1	0.052

		तमनार	उरबा	415	0.016
		तमनार	जोबरो	256/9	0.008
		तमनार	लिबरा	201/3	0.008
		योग			0.329
	कुल योग :-				8.806 हेक्टर
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार		आवेदित क्षेत्र में मिश्रित वन है। प्रस्तावित ओ. एफ.सी. लाइन विद्यमान राइट-ऑफ-वे के सीमा में ही किया जाना है।		
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण		मार्गों के मौजूदा राइट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है । वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति		आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति सामान्य है।		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)		आवश्यकता नहीं है।		
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।		प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में गोमर्डा अभ्यारण स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।		
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारापूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)		मार्गों के मौजूदा राइट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है ।		

12.	आवेदति क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देंगे।	नहीं।
-----	--	-------

प्रमाण – प्रत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल: रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक जिला – रायगढ़, छत्तीसगढ़.

दिनांक : 27/02/2021

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला – रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

1.	परियोजना / स्कीम का स्थान	"भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" रायगढ़
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	रायगढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	8.806 (हेक्टेयर)
(v)	वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन, संरक्षित वन, नारंगी क्षेत्र, एवं राजस्व वनभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 - 0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	प्रस्तावित ओ.एफ.सी. लाइन विद्यमान मार्गों के राइट ऑफ वे में बिछाया जाना है। जिसमें किसी भी प्रकार के खड़े वृक्ष नहीं हैं अतः क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा आवश्यक नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मृदा क्षरण की संभावना नहीं है अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं हैं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्रा में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की माँग अपरिहार्य और न्यूनतम हैं।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें हैं।	नहीं।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यकता नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	आवश्यकता नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यकता नहीं है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रा की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्रा (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यकता नहीं है।

5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	683635 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	1529.596 वर्ग किलो मीटर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	58 प्रकरण 3396.325 हेक्टर
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक: (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	हेक्टर हेक्टर
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	हेक्टर हेक्टर
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्रामवासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 8.806 हे. के व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 27/02/2021

स्थान :- रायगढ़

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

भाग III
(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 1 स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल है क्या :-
इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें ।
- 2 क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी :-
गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं ।
- 3 प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे :-
में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।

तिथि :-

स्थान :- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वन वृत्त, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

भाग -IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

- 1 टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार :-
करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

तिथि :-

स्थान :- नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

अपर प्रधान मुख्य संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
नया रायपुर (छत्तीसगढ़)